राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना पत्र संख्या ....114/2012..............................जिला...........................जोधपुर..

उनवान – राजस्थान सरकार जरिये उप–पंजीयक, लूणी, जिला–जोधपुर बनाम मै0 अमेजन एन्टरप्राइजेज प्रा0 लि0, जयपुर व अन्य।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री नत्थू राम, सदस्य**	
25/05/2017	विभाग की ओर से श्री अनिल पोखरणा उप–राजकीय अभिभाषक एवं अप्रार्थी अमेजन एण्टरप्राइजेज की ओर से श्री घनश्याम सिंह लखावत अभिभाषक उपस्थित। विचाराधीन प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर से एक निगरानी संख्या–678/2008/जोधपुर उप–पंजीयक, लूणी बनाम अमेजन एन्टरप्राइजेज व अन्य में कलक्टर(मुद्रांक) जोधपुर के निर्णय दिनांक 16.04.2007 के प्रकरण संख्या 291/2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी थी जिसमें इस न्यायालय की एकलपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 17.01.2012 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए विवादित भूमि की मालियत रूपये 800/– प्रति वर्गमीटर की दर से निर्धारित करते हुए मुद्रांक कर वसूलने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था। अप्रार्थी संख्या–1 अमेजन एन्टरप्राइजेज लि0 द्वारा दिनांक 19.09.2012 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एकपक्षीय आदेश दिनांक 17.01.2012 को अपास्त कर, पुनः सुनवाई करने हेतु निवेदन किया है। अमेजन एन्टरप्राइजेज की ओर से निवदेन किया गया कि उन्हें विचारणीय प्रकरण में विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है व न ही नोटिस विधिवत तामील करवाया गया है तथा निर्णय की जानकारी वसूली की कार्यवाही से हुई है। अमेजन की ओर से प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी–विभाग के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थीगणों को नोटिस में तामील हो चुके हैं फिर भी अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही कर एक तरफा आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत है। अतः विविध पत्र अस्वीकार किया जावे। 2m/ लगातार.........2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना पत्र संख्या ....114 / 2012...............................जिला...........................जोधपुर.......................................

उनवान – राजस्थान सरकार जरिये उप–पंजीयक, लूणी, जिला–जोधपुर बनाम मै0 अमेजन एन्टरप्राइजेज प्रा0 लि0, जयपुर व अन्य।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	– 2 –	
26 / 05 / 2017	निगरानी पत्रावली के अवलोकन से अमेजन एन्टरप्राइजेज को नोटिस तो जारी करना पाया जाता है परन्तु तामील होना प्रमाणित नहीं होता हैं, Registered Notice भी वापिस लौट कर आने के कारण पत्रावली में संलग्न है। नोटिस आदेश दिनांक 08.09.2010 की पुश्त पर यह अंकित है कि मौके पर जाकर मालूम किया कि आसामी दो वर्ष पहले ही खाली कर जाना बताया। अदम तामील रिपोर्ट पेश है तत्पश्चात समाचार पत्र के माध्यम से जरिये प्रकाशन तामील की कार्यवाही की गयी है तथा एकपक्षीय निर्णय दिनांक 17.01.2012 पारित किया है। इससे यह स्पष्ट है कि अमेजन एण्टरप्राइजेज को विधिवत तामील नहीं होने के कारण सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया जो विधिसम्मत एवं न्यायोचित नहीं है। अतः अमेजन एण्टरप्राइजेज लि0 द्वारा प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र संख्या 114 / 2012 / जोधपुर स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.01.2012 को निरस्त किया जाता है, तथा निगरानी संख्या–678 / 2008 / जोधपुर को पुनः सुनवाई (Recall) हेतु नंबर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। निगरानी संख्या 678 / 2008 / जोधपुर में अप्रार्थी संख्या दो, तीन व चार को बहस नोटिस जारी किये जावें। मिसल वास्ते बहस दिनांक 29.06.2017 को एस.बी. के समक्ष पेश हों। (नत्थूराम) सदस्य	